डिकरी व मुकदमें ईब्तदाई
(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए)
अज–अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)
बईजलास– अश्विन के. पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 11/2018

दायर दिनांक–22.03.2018
निर्णय दिनांक: 27-04-2022

रमणलाल पिता दयालजी कलाल उम्र व्यस्क निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

बनाम

1– नारायण पिता रूपा
2– गौतम पुत्र रूपा
3– हुका पिता धुला
4– मगन पिता धुला
5– नटवार पिता हकरा
6– दिनेश पिता हकारा
7– विजय पिता हकरा जाती वेद (नाई) उम्र व्यस्क नि0 चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 रा0 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 209 आर.टी.ए.

उपस्थित:–
1– श्री कृष्णराजसिंह – वादी
2– श्री शेलेष भण्डारी –प्रतिवादी

यह मुकमदा आज वास्तें इनफिसल कतई रूबरू अश्विन के.पवार आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री कृष्णराजसिंह सिंह एवं शेलेष एवं हितश भण्डारी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि:–

मौजा चुण्डावाडा के खाता सं0 331 की जमाबन्दी/बटवारा स्किम अनुसार भूमि का विवरण:– नारायण, गोतम पिता रूपा हाकेर बेवा रूपा1/4 रमणलाल पिता दयालजी 1/10, हुका पिता धुला 3/20 मगन पिता धुला 1/4, नटवर दिनेश विजय पिता हकरा केसर बेवा हकरा 1/4				रमणलाल पिता दयालजी कलाल				नारायण, गोतम पिता रूपा हाकेर बेवा रूपा हि. 1/4, हुका पिता धुला 3/20, मगन पिता धुला 1/4, नटवर दिनेश विजय पिता हकरा केसर बेवा हकरा 1/4			
खसरा	रकबा	किस्म	लगान	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	खसरा	रकबा	किस्म	लगान
3047	0.16 हैक्टर	सुखी I	0..68	3047/1	0.01 हैक्टर	सुखी प्रथम	0.04	3047	0.15	सुखी प्रथम	0.62

उपरोक्त खातेदारो के मध्य अन्तिम बंटवारा स्कीम का पर्चा डिकी जारी किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल में शुमार हो दाखिल दफ्तर होवे।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 27.04.2022 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज0)
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 11/2018 दायर दिनांक—22.03.2018
निर्णय दिनांकः— 27-11-22

रमणलाल पिता दयालजी कलाल उम्र व्यस्क निवासी चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

बनाम

1— नारायण पिता रूपा
2— गौतम पुत्र रूपा
3— हुका पिता धुला
4— मगन पिता धुला
5— नटवार पिता हकरा
6— दिनेश पिता हकारा
7— विजय पिता हकरा जाती वेद (नाई) उम्र व्यस्क नि0 चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 रा0 काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 209 आर.टी.ए.

उपस्थितः—
1— श्री कृष्णराजसिंह — वादी
2— श्री शेलेष भण्डारी —प्रतिवादी

:: अन्तिम निर्णय ::

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोजा गांव चुण्डावाडा पटवार हल्का चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) के खाता संख्या 331 नया 313 पुराना खसरा संख्या 3047 कुल रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2071—74 में दर्ज है। वाद की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 3047रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के स्वामित्व एवं कब्जे की होकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 03 के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 03 का स्वास्थ्य खराब होने से ईलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण उसने उपरवर्णित खसरा संख्या 3047 रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि में स्थित उसके 1/4 हिस्सो का 2/5 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि का 1/10 हिस्सा भूमि वादी को किमंत रूपया 300,000/— अक्षरे तीन लाख रूपये में रजि0 विक्रय विलेख विक्रय किया है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादी को विक्रय की गई भूमि दिशावार स्थिति निम्न प्रकार है।

पूर्व में — हरिशंकर सेवक का खेत
पश्चिम में — चुण्डावाडा बरोठी सडक
उत्तर में— मगन पिता धुला (प्रतिवादी संख्या 04) का मकान
दक्षिण में — सी0सी0 सडक

उक्त दिशावार स्थिति का अंकन प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादी के हक में निष्पादित कर रजि0 कराये गये विक्रय विलेख में भी है। उक्त विक्रय विलेख दिनांक 05.01.2016 को प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादी के हक में निष्पादित किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 11.01.2016 को उप पंजीयक महोदय बिछीवाडा द्वारा किया गया है। वादी द्वारा खसरा संख्या 03 से जरिये रजि0 विक्रय विलेख क्रया किया गया जिसका नामान्तकरण भी प्रमाणित होकर उक्त 1/10 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में वादी उक्त खसरा संख्या 3047 रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि के 1/10 हिस्सों का खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा सं0 3047 रकबा 16 बिस्वा का 1/10 हिस्सा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादी प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के साथ सहखातेदार के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादी अपने हिस्से की भूमि का स्वतंत्रता से अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करना चाहता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 04 एवं उसके परिवारजनों द्वारा आये दिन झगडा फिसाद किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वादी को भूमि विक्रय की जाने को लेकर प्रतिवादी संख्या 04 एवं उसके परिवाजन नाराज है उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के साथ भी झगडा फिसाद कर कहा जाता है कि तुने ये जमीन दूसरे व्यक्ति को क्यो बेची इस जमीन को तो हम ही रखना चाहते थे। इस तरह की बात कर प्रतिवादी संख्या 4 एवं उसके परिवारजन विवाद करते रहते है जिससे वादी अपने स्वामित्व एवं कब्जे की 1/10 हिस्सा भूमि का शान्तिपूर्वक अपनी इच्छानुसार उपयोग नही कर पा रहा है।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 एवं 06 की ओर से वकील श्री शेलेष, हितेश भण्डारी का पेश किया गया तथा प्रतितवादी संख्या 1, 3, 5, एवं 07 के विरूद्व दिनांक 10.1.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। तथा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा सम्मन लेने से इन्कार करने पर उसके मकान दो मुतबिरान के समक्ष चस्वा कर बाद तामिल पेश हुआ । प्रतिवादी संख्या 04 एवं 06 का जवाब दिनांक 12.11.2020 को बन्द किया गया है। चुकि प्रकरण बटवारा को होने से मोजा गांव चुण्डावाडा पटवार हल्का चुण्डावाडा तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0) के खाता संख्या 331 नया 313 पुराना खसरा संख्या 3047 कुल रकबा 16 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। में जमाबंदी में दर्ज हिस्से एवं कब्जे अनुसार वाद वर्णित भूमि का **Meats & Bounds** के आधार पर बटवारा करने 23.12.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार बिछीवाडा को आदेशित किया गया कि प्रश्नगत आराजी सम्पुर्ण खातेदारो को पूर्व में लिखित सुचना देकर नियत तारीख को स्वयं की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मय नजरिया बंटवारा, नक्शा जिसमें सभी खातेदारों को हक हिस्सा अलग–अलग दर्शित हो एवं सभी खातेदारों के हस्ताक्षर कर न्यायालय में पेश किया जावे।

तहसीलदार, बिछीवाडा द्वारा डिक्री की पालना में जरिये पत्र क्रमांक 15 दिनांक 28.01.2022 से मौजा चुण्डावाडा के ख्वासरा नं0 3047 रकबा 0.16 का वादी एवं प्रतिवादी को बुलाकर मौका देख कर खसरा नं0 3047 में 01/10 हि0 बेचान होकर मौके पर निंव निकालकर नीव तक निर्माण किया गया इस आधार पर बटवारा नामा मय पर्चा मौका के तैयार कर प्रस्तुत किया है। भूमिधारी तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सूचना के बाद भी प्रतिवादी संख्या 7 उपस्थित हुआ एवं शेष प्रतिवादी बुलाने पर भी मौके पर उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में समान नोटिस तामीली के बाद भी प्रतिवादी पक्ष से कोई भी पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अतः तहसीलदार बिछीवाडा द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव अग्रिम रूप से निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है। बटवारा स्किम का विवरण निम्नानुसार हैः–

<table>
<tr><td colspan="4">मौजा चुण्डावाडा के खाता सं0 331 की जमाबन्दी/बटवारा स्किम अनुसार भूमि का विवरण:–
नारायण, गोतम पिता रूपा हाकेर बेवा रूपा1/4 रमणलाल पिता दयालजी 1/10, हुका पिता धुला 3/20 मगन पिता धुला 1/4, नटवर दिनेश विजय पिता हकरा केसर बेवा हकरा 1/4</td><td colspan="4">रमणलाल पिता दयालजी कलाल</td><td colspan="4">नारायण, गोतम पिता रूपा हाकेर बेवा रूपा हि. 1/4, हुका पिता धुला 3/20, मगन पिता धुला 1/4, नटवर दिनेश विजय पिता हकरा केसर बेवा हकरा 1/4</td></tr>
<tr><td>खसरा</td><td>रकबा</td><td>किस्म</td><td>लगान</td><td>खसरा</td><td>रकबा</td><td>किस्म</td><td>लगान</td><td>खसरा</td><td>रकबा</td><td>किस्म</td><td>लगान</td></tr>
<tr><td>3047</td><td>0.16 हैक्टर</td><td>सुखी I</td><td>0..68</td><td>3047/1</td><td>0.01 हैक्टर</td><td>सुखी प्रथम</td><td>0.04</td><td>3047</td><td>0.15</td><td>सुखी प्रथम</td><td>0.62</td></tr>
</table>

उपरोक्त बंटवारा अनुसार मौजा चुण्डावाडा के खसरा नं0 3047 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म सुखी प्रथम लगानी 0.68 को खातेदारो के मध्य अन्तिम निर्णय पारित कर वाद डिक्री किया जाता है।

बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस इस आदेश/निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

निर्णय आज दिनांक27.05.2022 को सरेईजलसा सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Asf

उपखण्ड अधिकारी
बिछीवाडा